Need to ensure transparency in the functioning of insurance companies under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.-laid

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल **(बाड़मेर) :** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कार्यरत बीमा कंपनियों की भूमिका, जवाबदेही और पारदर्शिता की बार-बार समीक्षा की आवश्यकता है । किसानों को त्वरित और वैज्ञानिक आधार पर फसल क्षति का आंकलन कर समयबद्ध मुआवजा मिलना योजना का मूल उद्देश्य है, किंतु जमीनी स्तर पर कंपनियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता जवाबदेही का अभाव है । बीमा कंपनियों के साथ किए गए एमओयू में उनकी जिम्मेदारियाँ जैसे आकलन सीमित अवधि में दावा निपटान और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए । विशेष रूप से बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में वर्षवार फसलों का बीमा,बीमित मूल्य,किसानों से वसूली गई प्रीमियम दरें तथा एकत्रित प्रीमियम,दावों के भुगतान का ब्लॉकवार विवरण सार्वजनिक डोमेन में पारदर्शी रूप से उपलब्ध करवाया जाए । साथ ही सरकार बीमा कंपनियों की मनमानी,क्लेम भुगतान में अनुचित देरी, अपारदर्शी प्रक्रिया जैसी शिकायतों पर प्रभावी दंडात्मक कार्यवाही के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव करके कठोर नियम लाए । चूंकि यह विषय किसानों की आजीविका और सरकारी धन के समुचित उपयोग से जुड़ा है इसलिए बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों की संख्या, निस्तारण की अवधि, पारदर्शिता हेतु पोर्टलों, हेल्पलाइन निगरानी समितियों की प्रभावशीलता की स्वतंत्र जांच आवश्यक है । मेरी सरकार से मांग हैं कि योजना की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, कंपनियों की मनमानी रोकने हेतु सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएं ।